172

अनुसूचित जनजाति कल्याणार्थ
संख्याः /I(2)/2011-6(1)/32/2006

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2,

देहरादूनः दिनांकः २। जुलाई, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में निजी नलकूपों/पम्पसैटों के ऊर्जीकरण/विद्युत संयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निगम के पत्र संख्या 395/उपाकालि/म0प्र0(वि0ले0)/एस–1, दिनांक 02.06.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी नलकूपों/पम्पसैट के ऊर्जीकरण/विद्युत संयोजन हेतु अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत ₹ 5,00,000.00 (₹ पॉच लाख मात्र) की धनराशि उपादान के रूप में निम्न शर्तो के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व योजना के संबंध में विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृत करा लिया जायेगा। धनराशि का उपयोग केवल अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु किया जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार एवं जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0 में रखी जायेगी जिसका आहरण आवश्यकता एवं कार्य की प्रगति के आधार पर दो समान किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ही दूसरी किश्त का आहरण किया जाएगा। आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में मासिक रुप से योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं ऊर्जीकृत नलकूपों/पम्पसैटों की सूची जनपदवार/विकासखण्डवार लाभार्थी सूची व उसके सापेक्ष व्यय धनराशि का उल्लेख करते हुए शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) आवंटित की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में विकासखण्ड/जनपदवार लाभार्थियों की सूची व उनके सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण दिनांक 31.03.2012 तक शासन को पुस्तिका के रुप में भी उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि शेष बची रहे तो उसका विवरण भी कारण सहित शासन को उक्त तिथि तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(5) आवश्यक सामग्री का भुगतान सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जांच के उपरान्त ही किया जायेगा तथा सामग्री का गुणवत्ता के लिये सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग न किया जाय।

(6) शासनादेश सं0 181/नौ–3–ऊ/2003, दिनांक 30.01.2003 में दिये गये सामान्य निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी एवं उसके संलग्न प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इस हेतु सर्वप्रथम लम्बित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(7) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों/योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनेन्सियल हैण्ड बुक, स्टोर पर्चेज सम्बन्धी अन्य सुसंगत नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति आवश्यक है, इसमें वह प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

....2

(8) यदि उक्त कार्यो में निर्माण कार्य कराये जाते हैं तो इनके आगणन बनाकर उस पर सक्षम स्तर की तकनीकी परीक्षण के उपरान्त सक्षम तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जाय।

(9) नलकूप लगाये जाने से पूर्व लाभार्थियों से इस बात की लिखित वचनबद्धता ले ली जायेगी कि उक्त ऊर्जित नलकूपों के अनुरक्षण का पूर्ण दायित्व उन्हीं का होगा और इनके चालू रखने के लिये विभाग द्वारा सेफगार्ड भी अपनाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही निजी नलकूप संयोजन इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाय कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, सिंचाई विभाग अथवा भू–जल सर्वेक्षण विभाग, जैसी भी स्थिति हो, से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि भूमिगत पानी के परिप्रेक्ष्य में नलकूप निर्माण हेतु कोई तकनीकी बाध्यता/रोक नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत एक बार उर्जित नलकूप का पुनः उसी योजना के अन्तर्गत ऊर्जीकरण नहीं किया जायेगा।

(10) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित ट्यूबवैलों में ऊर्जा संरक्षण/विद्युत सुरक्षा के पूर्ण उपाय किये जायेंगे तथा संयोजन इलैक्ट्रानिक मीटर युक्त होगा।

(11) व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये स्वीकृत किया जा रहा है और प्रथम चरण में अधूरे कार्य पूर्ण किये जायेंगे।

(12) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु यूपीसीएल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(13) सामान्य एवं अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ इस योजना में धनराशि पृथक से निर्गत की जा रही है।

(14) इस धनराशि से सर्वप्रथम विगत वर्ष प्रारम्भ किये गये कार्य, जोकि धनाभाव एवं अन्य कारणों से पूर्ण नहीं किये जा सके, नियमानुसार पूर्ण किया जाएगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2801–बिजली–06–ग्रामीण विद्युतीकरण–आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–03–निजी नलकूप/पम्पसैट में विद्युत संयोजन योजना–00–50–सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 215/XXVII(2)/2011, दिनांक 19 जुलाई, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव

संख्याः 1360 /I(2)/2011-6(1)/32/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
3– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर।
7– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
8– बजट नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव